LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, December 02, 2025 /Agrahayana 11, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 02, 2025 / Agrahayana 11, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM GEORGIA	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 21 – 25)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 26 – 40)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 231 – 460)	**51 – 280**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, December 02, 2025 / Agrahayana 11, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 02, 2025 / Agrahayana 11, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 95**
ASSENT TO BILLS	**296**
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**296**
11th Report	
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY	**297**
21st and 22nd Reports	
STANDING COMMITTEE ON FINANCE	**297**
27th and 28th Reports	
ELECTION TO COMMITTEE	**297 - 98**
Rubber Board	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**299 - 311**
Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal	**299**
Shrimati Anita Subhadarshini	**300**
Dr. Rajeev Bharadwaj	**300**
Sushri Kangna Ranaut	**301**
Shrimati Anita Nagarsingh Chouhan	**301**
Shri Haribhai Patel	**302**
Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya	**302**
Shrimati Kamaljeet Sehrawat	**303**

Shrimati D. K. Aruna **303**

Dr. Nishikant Dubey **304**

Shrimati Daggubati Purandeswari **304**

Shri Balwant Baswant Wankhade **305**

Shri Vamsi Krishna Gaddam **306**

Shri Benny Behanan **306**

Shri Saptagiri Sankar Ulaka **307**

Shri Lalji Verma **308**

Shri Neeraj Maurya **308**

Shri Kirti Azad **308**

Shri C.N. Annadurai **309**

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy **309**

Shrimati Shambhavi **310**

Shri Sudama Prasad **310**

Shri Rajkumar Roat **311**

… **312**

xxx

(1100/SPS/SNT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य,अभय सिन्हा जी,आपने आज तो फोटो खींच लिया है, लेकिन आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह सदन है। इसकी गरिमा बनाए रखिए।

… (व्यवधान)

जॉर्जिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शालवा पपुआशविली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।

माननीय श्री शालवा पपुआशविली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग एवं संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

(प्रश्न 21)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21,श्री वी. के. श्रीकंदन।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री;तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : अध्यक्ष जी, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 22)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 22,डॉ. डी. रवि कुमार।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

1103 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री इमरान मसूद,श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

(प्रश्न 23)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 23,डॉ. कडियम काव्य।

…(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री;तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : अध्यक्ष जी,विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 24, श्री सतीश कुमार गौतम।

…(व्यवधान)

(प्रश्न 24)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, इसी क्रम में बीबीएसएसएल के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है?

श्री मुरलीधर मोहोल : अध्यक्ष महोदय,हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। देश में 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इन सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है।

(1105/RHL/RTU)

इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नये सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले चार साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है। ...(व्यवधान) रोजगार निर्मित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत सारी पहलें की जा रही हैं। ...(व्यवधान) जैसा कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य घटक पैक्स है। इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें तीन मल्टीस्टेट सोसाइटीज़ की स्थापना की गई है, ...(व्यवधान) जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एनसीईएल, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनसीओएल और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने एवं पारंपरिक मीठे बीजों के संवर्धन और प्रसार के लिए बीबीएसएसएल की स्थापना की गई है। ...(व्यवधान) इसी प्रकार माननीय सदस्य ने जो यह सवाल पूछा है कि बीबीएसएसएल के जो सेंटर्स बने हैं, उत्तर प्रदेश में आज बीबीएसएसएल की क्या स्थिति है? ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बनी हैं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले 'भारत बीज' ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से बीबीएसएसएल उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से किसानों को सीधे बीजों का वितरण कर रही है। ...(व्यवधान) इसी के साथ मूंगफली, गेहूं, मसूर और चने की फसलों के बीज भी राज्यों में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में बीबीएसएसएल की कार्य पद्धति क्या है, पिछले तीन साल में इस संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? ...(व्यवधान)

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय, भारत सरकार, बीबीएसएसएल के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। ...(व्यवधान) सभी राज्यों की सरकार को साथ लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक देश के 34 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कुल 33,750 सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बनी हैं। ...(व्यवधान) बीबीएसएसएल ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ रुपये के बीज बेचे हैं। 18 राज्यों ने बीबीएसएसएल के साथ काम करने के लिए नोडल एजेंसियों को नामित भी किया है, जिनमें से 8 राज्यों के साथ अभी एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ...(व्यवधान) अब तक बीबीएसएसएल ने 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

हमारा यह लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक बीबीएसएसएल विश्व की पांच सबसे बड़ी बीज उत्पादक कंपनियों में से एक बने और लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करने का हमने लक्ष्य रखा है। ...(व्यवधान) देश में अब तक 34 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कुल 33,750 समितियां सदस्य बनी हैं। सहकारिता आंदोलन को सक्षम बनाने का कार्य बीबीएसएसएल के माध्यम से करने का भी हमारा प्रयास है। ...(व्यवधान)

(इति)

(1110/KN/AK)

(प्रश्न 25)

*SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Today, I am thankful that Bankura district has fisheries like in Ramsagar Village. I am also a part of that family. I live there as well. An amount of Rs.545 crore was sanctioned by the Central Government to West Bengal in the last five years, but the Trinamool Congress Government spent only Rs.51 crore. Could the unused fund be sent directly to the fisheries department, the organisations associated with it, and the cooperative agencies? The State Government is unable to spend the funds. Everyday they are creating ruckus here. Is there any system which allows the cooperative agencies to receive the funds directly from the Central Government? This is what I want to ask the Minister.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की यह धारणा है कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो।... (व्यवधान) जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं।... (व्यवधान) इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में इस योजना को प्रारंभ किया।... (व्यवधान) उन्होंने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की, जिसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया।... (व्यवधान) लेकिन दु:ख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22, इन दो वर्षों तक राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया।... (व्यवधान) उन्होंने वर्ष 2022-23 में इसे स्वीकार किया।... (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में 910 करोड़ रुपये खर्च का लक्ष्य रखा था।... (व्यवधान) उसके एवज में वर्ष 2022-23 से जब पश्चिम बंगाल ने भाग लेना शुरू किया तो वहां से मात्र 221 करोड़ रुपये का ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ।... (व्यवधान) इसमें आज तक केन्द्रीय शेयर की जो राशि आबंटित की गई है, वह 221 करोड़ रुपये है।... (व्यवधान) उसमें से अब तक मात्र 114 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और मात्र 58.51 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किए हैं।... (व्यवधान) वर्ष 2022-23 से आज तक पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है, वह मात्र 51 परसेंट है।... (व्यवधान) अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी, तो फिर केन्द्र सरकार क्या करेगी?... (व्यवधान)

---

* Original in Bengali

(pp. 6-30)

मैंने स्वयं इसी वर्ष 2 अगस्त को पश्चिम बंगाल में जाकर इसकी समीक्षा की।... (व्यवधान) उसमें बहुत ही कनिष्ठ रैंक के अधिकारी आए, जिनको कुछ पता नहीं था।... (व्यवधान) जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ है कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा।... (व्यवधान) यह राज्य सरकार की सोच है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी का इस देश को विकसित करने का जो लक्ष्य है, उसमें जहां राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, वहां कठिनाई हो रही है।... (व्यवधान) हमारी जो योजना है, उसमें हम राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करते हैं।... (व्यवधान) हम सीधे तौर पर सहयोग नहीं देते हैं।... (व्यवधान) उनके लिए एनिमल हस्बैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) है।... (व्यवधान) वह उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं।... (व्यवधान)

(1115/ANK/SRG)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्न काल महत्वपूर्ण होता है। आप सदन में भागीदारी निभाएं। मैं संसद के अंदर आपका जिस तरह का आचरण देख रहा हूं, वह ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य संसद के बाहर संसद के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह न संसद के हित के लिए है और न देश के हित के लिए है। अगर उनके राजनीतिक दलों की यही परंपरा है, तो इसको देश देख रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोकतंत्र में संसद के अंदर विरोध और असहमति होती ही है, लेकिन आप मर्यादा बनाएं, शालीनता बनाएं। हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा और गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन देता है, उसमें हमारी संसद की मर्यादा और परंपरा भी उच्च कोटि को होनी चाहिए। विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरुप हो, यह मेरा आपसे आग्रह है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1117 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/SM/NK)

1200 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock

(Shri P.C. Mohan *in the Chair*)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1200 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, a few notices of Adjournment Motion have been received on different subjects. Hon. Speaker has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hours

HON. CHAIRPERSON: Item no. 2 – Shri Jitin Prasada

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) (Amendment) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.812(E) in Gazette of India dated 3rd November, 2025 under sub-section (3) of Section 87 of the Geographical Indications (Registration and Protection) Act, 1999.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 41 of the Boilers Act, 2025: -

   (i) The Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.615(E) in Gazette of India dated 10th September, 2025.

   (ii) The Boiler Accident Inquiry Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.616(E) in Gazette of India dated 10th September, 2025.

   (iii) The Technical Adviser (qualification, experience, salary and allowances) Rules, 2025 published in Notification No.

G.S.R.617(E) in Gazette of India dated 10th September, 2025.

(iv) The Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.618(E) in Gazette of India dated 10th September, 2025.

(v) The Boiler Operation Engineers' Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.705(E) in Gazette of India dated 23rd September, 2025.

(vi) The Boiler Attendants' Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.721(E) in Gazette of India dated 29th September, 2025.

(vii) The Boiler (Adjudication and Appeal) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.767(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2025.

(viii) The Boiler (Appeal and Revision) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R.768(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2025.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2024-2025.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2024-2025.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the

working of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

… (*Interruptions*)

1202 hours

(At this stage, Dr. Mohammad Jawed, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood near the Table)

… (*Interruptions*)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : माननीय सभापति जी**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापति जी**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर, सूबेदार मेजर (दूरसंचार), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर, (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.538(अ) में प्रकाशित हुए थे।

... (व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-11011(18)/14/2023-प्रशा_6/ए. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-11011(18)/14/2023-प्रशा_6/बी में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) पीएडब्लयूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीएडब्लयूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पीपल विद हियरिंग इम्पेयर्ड नेटवर्क (पीएचआईएन), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पीपल विद हियरिंग इम्पेयर्ड नेटवर्क (पीएचआईएन), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर, एट्टूमनूर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संजोस वेलफेयर सेंटर, एट्टूमनूर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) मेरठ चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरठ चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) कोंगु अरिवालया ट्रस्ट, इरोड, तमिलनाडु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोंगु अरिवालया ट्रस्ट, इरोड, तमिलनाडु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(8) (एक) आशानिलयम, पोनकुन्नम, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आशानिलयम, पोनकुन्नम, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) विकलांग समाकलन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विकलांग समाकलन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) के.एस.जे. हाई स्कूल, रतनपुर खुर्द, संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) के.एस.जे. हाई स्कूल, रतनपुर खुर्द, संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मरीएन सर्विस सोसाइटी, मुत्तिक्कुलंगरा, पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मरीएन सर्विस सोसाइटी, मुत्तिक्कुलंगरा, पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सेवानिकेतन तिरुहृदय निवास, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेवानिकेतन तिरुहृदय निवास, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सोसाइटी ऑफ ख्रीस्त ज्योति: नव वाणी स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ ख्रीस्त ज्योति: नव वाणी स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) एस.के.आर. पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिले के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस.के.आर. पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) वेलुगु, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगु, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(21) (एक) चावरा स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, कूनम्मावु, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चावरा स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, कूनम्मावु, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) विमला महिला समाजम, मुवत्तुपुझा, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विमला महिला समाजम, मुवत्तुपुझा, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इडुक्की, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इडुक्की, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) शांतिनिकेतन रेजीडेंसियल इंस्टिट्यूशन फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिकेतन रेजीडेंसियल इंस्टिट्यूशन फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) डिस्ट्रिक्ट डिसएबल्ड स्कूल, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिस्ट्रिक्ट डिसएबल्ड स्कूल, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ द डीफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ द डीएफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) रक्षा सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कोचांगडी, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कोचांगडी, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी, आदिमाली, इडुक्की जिला, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी, आदिमाली, इडुक्की जिला, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) एम्माउस विला चैरिटेबल सोसाइटी, वायनाड, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम्माउस विला चैरिटेबल सोसाइटी, वायनाड, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(34) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज़, ज़िला-काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज़, ज़िला-काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) फेथ-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर द हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेथ-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर द हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) हेलेन केलर स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेलेन केलर स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल

के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) श्री दाक्षिण्य भाव समिति, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री दाक्षिण्य भाव समिति, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) सेंटर फॉर रिहैबीलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च (सीआरएसआर), भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रिहैबीलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च (सीआरएसआर), भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) समाज कल्याण केन्द्र, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समाज कल्याण केन्द्र, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) आशाकिरण एसोसिएशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स, कोझिकोड, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आशाकिरण एसोसिएशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स, कोझिकोड, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) : माननीय सभापति जी**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) : माननीय सभापति जी**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

... (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

ASSENT TO BILLS

1203 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I lay on the Table the following four Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifth Session of Eighteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 22nd July, 2025:-

I. The Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025;
II. The Manipur Appropriation (No.2) Bill, 2025;
III. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025; and
IV. The Income-tax Bill, 2025.

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha of the following 11 Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

I. The Bills of Lading Bill, 2025;
II. The Carriage of Goods by Sea Bill, 2025;
III. The Coastal Shipping Bill, 2025;
IV. The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2025;
V. The Merchant Shipping Bill, 2025;
VI. The National Sports Governance Bill, 2025;
VII. The National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025;
VIII. The Indian Ports Bill, 2025;
IX. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025;
X. The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025; and
XI. The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025.

… (*Interruptions*)

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

11th Report

1204 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I rise to present the Eleventh Report of the Business Advisory Committee.

(1205/IND/GM)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

1205 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नए युग में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का प्रभाव' तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधति विषय 'फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने वाले तंत्र की समीक्षा' विषयों पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के क्रमश: इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदनों * (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूँ। … (व्यवधान)

—-

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

27th and 28th Reports

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:

i. Twenty-Seventh Report on the subject 'Performance review of National Statistical Commission (NSC);

ii. Twenty-Eighth Report on the subject 'Review of working of Insolvency and Bankruptcy Code and Emerging Issues'.… (*Interruptions*)

ELECTION TO COMMITTEE

Rubber Board

1206 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, On behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to move:

"That in pursuance of clause(e) of sub-section(3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

---

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 4 अक्तूबर, 2025 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किये गये, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): The question is:

"That in pursuance of clause(e) of sub-section(3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, Shri Kiren Rijiju Ji.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, हमने पहले दिन से कहा है कि शीतकालीन सत्र में ठंडे दिमाग से चर्चा करनी चाहिए। … (व्यवधान) हमने बार-बार अनुरोध किया। … (व्यवधान) आज मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश में कई मुद्दे हैं। … (व्यवधान) किसी भी मुद्दे को हम छोटा नहीं मानते हैं। (व्यवधान) लेकिन संसद नियम-तरीकों से चलती है। … (व्यवधान) एक मुद्दे को ले कर बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते हैं। … (व्यवधान) इस सदन में कई पार्टीज़ हैं। … (व्यवधान) छोटी-छोटी पार्टियों के सदस्य भी हैं। (व्यवधान) एक पार्टी के एक-एक सदस्य भी यहां मेंबर हैं। … (व्यवधान) सबकी बात सुननी चाहिए। … (व्यवधान) दो-चार पार्टीज़ मिल कर के संसद को ठप्प करेंगी, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। … (व्यवधान) चुनाव में हार जीत होती है। … (व्यवधान) सभापति महोदय, यह लोकतंत्र है। … (व्यवधान) इसमें हार-जीत होती है। … (व्यवधान) मैं भी चुनाव में हारा हूँ। … (व्यवधान) अटल जी भी पहला चुनाव हारे थे। … (व्यवधान) लेकिन हारने से बौखला कर आप यहां, पार्लियामेंट में गुस्सा निकालेंगे, यह ठीक नहीं है। … (व्यवधान) यहां देश के मुद्दों को ले कर चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। … (व्यवधान) मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें करने की वजह से आप जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। … (व्यवधान) मैं आश्वासन देता हूँ कि चाहे इलेक्शन के रिफॉर्म्स हों या कोई भी मुद्दा हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। … (व्यवधान) देश के किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। … (व्यवधान) हमने कुछ अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ … (व्यवधान) अभी तक जो हंगामा किया गया है, वह ठीक नहीं है। … (व्यवधान) आगे और न करें, इसकी मैं अपील करता हूँ और मैंने ओपोजिशन के लीडर्स से बात करने के लिए पेशकश की हुई है और वे आने वाले हैं। … (व्यवधान) हम बात कर के कोई रास्ता निकाल कर सबकी बात हम सुनेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन सरकार की बात भी आपको सुननी है। … (व्यवधान) लेकिन यहां नारेबाजी लगा कर जो आप लोगों ने दृश्य पेश किया है, यह ठीक नहीं है। … (व्यवधान) इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संसद की गरिमा को बनाएं रखें और कृपया, आप लोग चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I request all the hon. Members to go to their respective seats. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

1209 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

(1400/GTJ/CS)

1400 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1400 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, may personally hand over the approved text of the matter at the Table immediately.

… (*Interruptions*)

Re: Need to constitute a Committee to assess the use of cough syrup containing dextromethorphan hydrobromide by children and to frame guidelines for all the stakeholders

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Death of few children in some states due to contaminated cough syrups or inappropriate doses shows grave concern. Children below six years do not require it at all as it provides fleeting comfort only. No scientific proof about its effectiveness upon children. Dextromethorphan Hydrobromide is a very dangerous ingredient for children used in cough syrups and its small overdose could be fatal to children. I suggest a Committee consisting of eminent senior pediatrics and senior Government officers be formed to suggest to Government as to whether cough syrups containing DH should be given or not, if yes then how and in what proportion and also to suggest strict rules for the manufacturer of cough syrups, for doctors who prescribe it and chemists who sell it on the counter.

(ends)

Re: Need to provide financial assistance for construction of railway over-bridge near Khallikote railway station in Aska Parliamentary Constituency

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): There is an urgent need for the construction of Railway Over-Bridge near Khallikote railway station to keshpur, Tentuliapada village. The students of Government under Graduate High School Keshpur under Khallikote block are facing life risk and traffic jam everyday to reach their school. Accidents are common due to traffic jam. This over bridge will definitely provide seemless journey to common people of Kalupadar, Nuasahi, Patna, Keshpur and Tentuliapada villages as well as the students of Keshpur Government UGHS. There is a pressing demand from the public for upgradation and infrastructural development of Khallikote railway station as well as improvement of passengers' amenities like-drinking water and toilets at all platforms of the said station. I urge the Ministry of Railways to allocate sufficient fund for the above said railway projects in my Parliamentary Constituency, Aska, in Odisha during the Financial year 2026-2027.

(ends)

Re: Need to set up food processing industry in Nurpur in Kangra district, Himachal Pradesh

डॉ. राजीव भारद्वाज (कांगड़ा) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कांगड़ा जिले में नूरपुर क्षेत्र में प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। नूरपुर क्षेत्र बागवान बाहुल क्षेत्र है। जहाँ आम, अमरुद, कीनू तथा लीची की अत्याधिक पैदवार है। नूरपुर क्षेत्र में ऑफ सीजन में भी आम की अच्छी फसल होती है। एक आंकडे के अनुसार आम, लीची और अमरुद फलों का सर्वाधिक उत्पादक जिला हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है तथा सर्वाधिक क्षेत्रफल में फसल उगाने वाला जिला भी कांगड़ा ही है। इसमें नूरपुर की बहुत अहम भूमिका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नुरपुर क्षेत्र में किये जाने से बागवानों के उत्पादन को अधिक मूल्य मिलेगा निश्चित रूप से अगर बागवानों के फसलों को प्रोसेस करने का अवसर मिल जाए तो मुनाफा अधिक होगा। किसानों की तरक्की भी तभी संभव है जब उन्हें उनकी फसलों का सही दाम मिले ऐसे में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट की नूरपुर क्षेत्र में स्थापना करने से आय का एक बड़ा स्रोत होगा। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट नूरपुर में लगवाने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to provide special financial assistance for reconstruction of roads and bridges connecting rural areas which are damaged due to natural calamities in Mandi Parliamentary Constituency

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : गत समय मे अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की प्राकृतिक आपदा की वजह से मंडी लोकसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापक क्षति का सामना कर रहा है, मनाली के पास पुल, सड़क, सिराज के आंतरिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 03 भूस्खलन क्षेत्र और जलविद्युत प्रभावित गांवों जैसे महत्वपूर्ण संरचनाएं या तो बह गई या फिर असुरक्षित हो गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वप्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है जहाँ दुनिया के हर कोने से पर्यटकों का सारे वर्ष आना जाना लगा रहता है लेकिन इस बार आई प्राकृतिक आपदा के कारण महत्वपूर्ण संरचनाओ के क्षतिग्रस्त होने के कारण पर्यटकों की आवाजाही मे कमी आई है इसलिए इस क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओ को हुए नुक्सान को शीघ्र अतिशीघ्र दुरूस्त करने की महत्ती आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मंडी लोक सभा मे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और ग्रामीण संपर्क मार्गो के पुनर्निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता जारी की जाए।

(इति)

Re: Need to construct roads under PMGSY connecting villages in Alirajpur area in Ratlam Parliamentary Constituency

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम के काफी गांवों मे सड़कों की समस्या बनी हुई हैं, जिसमे कि मुख्यतया अलीराजपुर क्षेत्र में एक गाँव से दूसरे गांव मे जाने के लिए सड़कों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है तथा अभी भी यहाँ पर कच्ची सड़के हैं। बच्चों को स्कूल जाने तथा ग्रामीणों को एक गाँव से दूसरे गाँव मे जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा खास तौर पर बारिश के समय में तो यहाँ की सड़कें कीचड़ मे तब्दील हो जाती हैं और लोगों को गाँव से निकालना काफी कठिन हो जाता है तथा वहीं गांवों मे किसी कि तबीयत बिगड़ती है तो उसे अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे मे मरीजों की इलाज में देरी होने के कारण मृत्यु होने के खतरा बना रहता है । यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि यहाँ पर ग्रामीण सड़कों का सर्वे कराकर, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत फलिया रोड़ का निर्माण कराया जाए जिससे ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा हो सके।

(इति)

Re: Need to set up a regional office of Spices Board of India in Unjha in Mahesana Parliamentary Constituency

श्री हरीभाई पटेल (महेसाणा) : उत्तर गुजरात देश के मसाला उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान करता है, लेकिन स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोच्चि, केरल में होने के बावजूद, उत्तर गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इससे यहाँ के मसाला उत्पादक किसानों, विक्रेता और निर्यातक को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः, मैं माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा के उंझा जो कि एशिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध मसाला व्यापार मंडी के रूप में जाना जाता है, में स्पाइस बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए, ताकि उंझा, महेसाणा सहित उत्तर गुजरात के मसाला उत्पादक किसानों, विक्रेताओं और निर्यातकों को आवश्यक सुविधाएँ और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

(इति)

Re: Need to expedite construction and operation of Kendriya Vidyalaya in Aravalli district of Gujarat

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा अंतर्गत अरवल्ली जिला, जो कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव को पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय हेतु निर्धारित भूमि की जानकारी एवं स्थल की स्थिति से संबंधित प्रस्ताव क्षेत्रीय उपायुक्त (KVS), अहमदाबाद को प्रस्तुत कर दिया गया है। यह भूमि KVS के निर्धारित मानकों के अनुरूप है, किंतु स्थल का समतलीकरण आवश्यक है। वर्ष 2023 से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ निरंतर पत्राचार के बावजूद विद्यालय का संचालन नही हो पाया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अरवल्ली जिले के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को शीघ्र संचालित किया जाये। विद्यालय स्थल के समतलीकरण हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए, जिससे निर्माण कार्य में विलंब न हो। जब तक स्थायी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होता, तब तक KVS के नियमों के अनुरूप किसी किराए के भवन में विद्यालय का संचालन आरंभ किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रकरण के समाधान को सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूँ।

(इति)

Re: Need to take comprehensive measures to address severe traffic congestion at Dwarka Flyover stretch connecting Palam, Dwarka and IGI Airport in Delhi

SHRIMATI KAMALJEET SEHRAWAT (WEST DELHI): I rise to draw the urgent attention of this House to the severe traffic congestion occurring daily at the Dwarka flyover stretch, especially near the Indian Oil signal junction, connecting Palam, Dwarka, and the route towards the Indira Gandhi International Airport. Thousands of commuters, including office goers, students, and emergency vehicles, face massive jams during peak hours, leading to loss of productive hours, increased fuel wastage, and severe air pollution. The narrow flyover design, lack of alternative routes, bottlenecks near bus stops, and absence of traffic regulation during peak times have worsened the crisis. I urge the Union Ministry of Road Transport & Highways and the Ministry of Housing and Urban Affairs, in coordination with the Delhi Government, to immediately conduct a joint technical inspection, propose decongestion measures, consider expansion or redesign of the junction, and ensure smooth and safe vehicular movement in this highly sensitive and strategic area. I request that this matter be taken seriously, and appropriate steps be initiated at the earliest in public interest.

(ends)

Re: Need to amend the Right to Education Act, 2009

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Hon'ble Supreme Court delivered a Judgment on 1.9.2025 in Civil Appeal No.1385/2025 stating that Teacher Eligibility Test (TET) be made mandatory for all teachers from classes 1 to 8 irrespective of their appointment. This decision creates disarray among 20 lakh teachers across the country, including my State Telangana. It is a known fact that under the Right to Education Act, 2009 and the NCTE notification dated 23.8.2010, teachers appointed before 2010 were legally categorized as qualified and exempted, whereas teachers appointed after 2010 were required to pass TET within prescribed time. It is also important that Right to Education (RTE) Act, 2009 came into force in different years across different states. TET also came into effect and varies from state to state based on respective State Gazette Notification. I request the Hon'ble Minister to bring an amendment bill to revise relevant provision of the Right to Education Act, 2009.

(ends)

Re: Need to recognize the aborigines of Santhal Pargana as Scheduled Tribes

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I want to place a piece of great historical record – a book titled: ”The Little World of an Indian District Officer”, written by R.Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Parganas was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wounderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. This details that at the time of the Permanent Settlement that there was NOT a single Sonthal in the whole of this area. “Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders – yes, but Sonthals, no”. It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the dispensation of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today. Thus the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes.

(ends)

Re: Need to include OPD services and post-hospitalisation medication in Ayushman Bharat-PMJAY Scheme

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): I rise to bring before this House a matter vital to the national goal of achieving universal healthcare, aligned with the foundational commitment of our Government towards Antyodaya. The dedicated Ayushman Bharat-PMJAY has become the world’s largest public health scheme, marking a monumental success by issuing over 42 crore Ayushman cards and enrolling over 86 lakh senior citizens in just seven years. This scheme, offering ₹5 lakhs per family, has made quality healthcare affordable for over 12 crore vulnerable families. While the scheme excels in secondary and tertiary inpatient care, the current exclusion of routine OPD services and limited post-hospitalization medication creates a significant financial burden on beneficiaries, hindering access continuity. This gap actively increases the necessary Out-of-Pocket Expenditure (OOP) for essential follow-up care. I urge the Union Government to implement an accelerated, phased action plan to expand the scope of the Ayushman Bharat scheme toward true universal coverage. The consolidated demand is to immediately integrate essential OPD services (starting with chronic and common ailments) and extend post-hospitalization medication coverage beyond the current 15-day limit, thereby ensuring continuity of care and drastically reducing out-of-pocket expenditure for our most vulnerable families.

(ends)

Re: Alleged irregularities in implementation of Schemes under Jal Jeevan Mission in Amravati Parliamentary Constituency

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : मै अमरावती लोकसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन एवं संबंधित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की पिछले 10 वर्षों की प्रगति, व्यय तथा कार्यान्वयन की गंभीर स्थितियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। पिछले एक दशक में अनेक योजनाओं हेतु भारी धनराशि स्वीकृत की गई, किंतु अनेक ग्रामों में आज भी पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। कई परियोजनाएँ अधूरी, विलंबित या तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण अवस्था में पाई जा रही हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और विस्तृत जानकारी चाहूँगा:-

(क) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक अमरावती लोकसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत सभी पेयजल आपूर्ति योजनाओं/कार्यों का वर्षवार, ग्रामवार एवं परियोजना-वार विवरण सरकार प्रस्तुत करे।

(ख) उक्त योजनाओं के योजना निर्माण, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी मंजूरी तथा अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों, विभागों व संस्थाओं की विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ग) पिछले 10 वर्षों में केंद्र और राज्य शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, और वास्तविक रूप से खर्च की गई। इसका योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सामग्री क्रय, ठेकेदार भुगतान तथा संचालन एवं रखरखाव (O&M) मदवार वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाए।

(घ) लंबित व अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सरकार ने कौन-सी समय-सीमा निर्धारित की है?

(इति)

Re: Need for special financial assistance for smooth and successful conduct of Godavari Pushkaralu, 2027 in Telangana

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): I rise to draw the urgent attention of the Government to the need for special central assistance for the upcoming Godavari Pushkaralu 2027, scheduled to begin on 23 July 2027 in Telangana. The State Government is preparing to organise the event on a large and historic scale, comparable to the Kumbh Mela, expecting participation from lakhs of devotees from across the country. Major pilgrimage centres along the Godavari River, particularly Dharmapuri, Kaleshwaram, and surrounding temple areas, require significant upgrades in terms of riverfront development, sanitation facilities, Pushkar ghats, crowd-management infrastructure, drinking water arrangements, public amenities, and connectivity improvements. Given the cultural, religious, and national importance of the Godavari Pushkaralu, I request the Ministry of Tourism and Ministry of Culture to extend dedicated financial assistance for the development of key temple towns, construction and strengthening of Pushkar ghats, and creation of essential facilities for devotees. I urge the Government to sanction special funds at the earliest to ensure successful and seamless conduct of Godavari Pushkaralu 2027 in Telangana.

(ends)

Re: Need for re-issuance of 3D notification for 44.7 km Angamaly-Kundannoor stretch of NH-544 and integrate it with NH-66 in Kerala

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The 3A notification issued on 29.08.2024 for the 44.7 km Angamaly–Kundannoor stretch of NH-544 has lapsed due to non-issuance of the 3D notification within the mandated one year. This corridor urgently requires fresh notification and an updated traffic survey, as congestion, vehicle growth, and industrial movement toward Kochi have significantly increased.

The proposed 20 km Angamaly–Kodungalloor corridor must be integrated at the starting point of the NH-544 stretch to ensure seamless connectivity between NH-544 and NH-66. This will provide faster access to CIAL, improve connectivity to BPCL Kochi Refinery, Cochin Port, and Vallarpadam ICTT, and enhance statewide mobility for travellers across central and northern Kerala. It is requested to urgently reissue the 3A notification, integrate the new corridor, update the traffic survey, and expedite all approvals and land acquisition processes.

(ends)

Re: Need to set up a Government medical College and Hospital in Rayagada district of Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Rayagada district of Odisha, located in the tribal-dominated southern region of the state, has grown into an important industrial and commercial centre, with a large workforce employed in industries like Utkal Alumina, JK Paper Mills, IMFA, Hindaico, and other sectors. This has increased the population and healthcare demand in the district, which already serves as a hub for surrounding backward and tribal areas. Despite this, the district lacks a government medical college. The only medical college in the region at Koraput is overburdened and unable to meet the increasing demand for tertiary care and medical education. Rayagada's own health system is severely strained - almost 50% of sanctioned posts for doctors and specialists remain unfilled, leaving hospitals and health centres inadequately staffed and forcing patients to travel long distances for advanced care. Importantly, the district now has suitable government land available, as the land earlier held by the erstwhile JSCo (Jeypore Sugar Company) has been transferred to the Government. This can be readily utilized for establishing a modern medical college and teaching hospital.

I, therefore, urge the Government to approve and establish a Government medical college and hospital at Rayagada, utilizing the available land fill vacant positions urgently to ensure adequate healthcare services until the new college becomes operational. Plan the college as a tertiary care and teaching institution under centrally sponsored schemes to serve the needs of the district and neighbouring areas. A medical college at Rayagada will not only improve healthcare access and save lives but also generate medical education and employment opportunities for local youth This is a long-pending and justified demand of the people of the region.

(ends)

Re: Need to run a train between Ayodhya and New Delhi

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं अयोध्या धाम से कोई भी ट्रेन नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए नही चलती है जबकि अयोध्या धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। साथ ही साथ अकबरपुर जंक्शन, गोशाईगंज, अयोध्या धाम एवं अयोध्या कैण्ट स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि अयोध्या धाम अथवा अयोध्या कैण्ट से कम से कम एक ट्रेन नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए चलायी जाय। साथ ही साथ उपरोक्त स्टेशनों पर यात्री सुविधायें भी बढ़ायी जाए। (इति)

Re: Need to construct an overbridge/underpass at level crossing between Bhamora and Aonla in Aonla Parliamentary Constituency

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र आँवला, जनपद-बरेली के अंतर्गत भमोरा से आँवला मार्ग पर पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग अक्सर बंद रहती है जिस कारण से अत्यधिक जाम की समस्या रहती है। कृपया उक्त जाम से आम जनता को निजात दिलाने के लिए उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज/अंडरपास बनवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस समस्या का समाधान जनहित में शीघ्र कराया जाए। (इति)

Re: Need for comprehensive measures to address acute air pollution crisis in Delhi and other cities of country

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): I wish to draw the attention of the house to the severe and worsening air pollution crisis, which continues to pose a grave public health emergency in Delhi and across India. According to the latest data, 74 of the world's top 100 most polluted cities are in India, with Delhi's annual average PM2.5 concentration at 101 µg/m³- over twice the national standard and 20 times the WHO guideline. This pollution causes nearly 2 million premature deaths annually and triggers a surge in respiratory and cardiac illnesses, especially among vulnerable populations. Despite the National Clean Air Programme and increased monitoring, most cities continue to breach air quality standards, highlighting critical gaps in implementation, inter-state coordination, and accountability. Public trust in air quality data is eroding due to incidents of manipulation and wasteful measures like cloud seeding, which yield negligible results. India's global image is tarnished as cities are increasingly seen as hazardous rather than progressive. I urge the Government to treat clean air as a fundamental right, enforce science-based emission cuts, strengthen independent monitoring, and adopt a regional airshed approach. Immediate, enforceable actions are needed to protect public health and restore credibility.

(ends)

Re: Need to undertake developmental projects on unutilized forest land in Tiruvannamalai Parliamentary Constituency

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change to an important matter concerning Melchengam in Tiruvannamalai District, where nearly 10,000 acres of forest land have remained under-utilized for the past decade. This vast area holds immense potential for sustainable development, biodiversity conservation, and livelihood generation for local communities. The people of my Parliamentary Constituency have been demanding the establishment of a Herbal-cum-Eco Park, along with Agricultural, Tribal Welfare, and Forest-related Central Government Institutions. Such initiatives would promote eco-tourism, support cultivation and research of medicinal plants, create employment opportunities, strengthen tribal livelihoods, and ensure effective conservation of the region's rich flora and fauna. I urge the Government to consider this long-pending demand and take necessary steps at the earliest.

(ends)

Re: Need to revise Model Home Guards Bill, 1965 and the Civil Defence Act/Rules

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I would like to draw the attention of the Government to the urgent need for expediting the review and finalization of the Model Home Guards Bill, 1965 and the Civil Defence Act/Rules, which are currently under revision. A model draft of the revised legislation has reportedly been prepared and circulated among the stakeholders for comments. The Home Guards and Civil Defence organisations play a vital role in disaster response, internal security support, community safety, and emergency management across the country. However, the existing statutory framework is outdated, does not reflect current operational realities, and needs urgent strengthening to clearly define roles, responsibilities, service conditions, training standards, modernization requirements, and legal protections for personnel. Delay in finalising the revised legislative framework is affecting the preparedness and functioning of these forces in many States. I urge the Government to Expedite the consultation process with all stakeholders; Finalise the revised Model Home Guards Bill and the updated Civil Defence Act/Rules at the earliest and ensure that the new framework enables modernization, uniformity across States, and improved service conditions for the personnel. The matter requires immediate attention.

(ends)

Re: Need for establishment of an exclusive Agriculture Corridor in Samastipur Parliamentary Constituency

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): The agriculture and allied sectors are the backbone of the Indian economy, employing over 50 per cent of India's workforce and contributing over 18 per cent of the country's Gross Value Added (GVA). The Hon'ble Prime Minister recently announced the expansion of the concept of exclusive corridors previously applied to industrial and economic development to the agricultural sector by creating a Natural Farming Corridor. While this initiative is commendable, the Samastipur Parliamentary Constituency presents a compelling and strategic case for immediate inclusion and establishment of an exclusive Agriculture Corridor. Samastipur is home to the prestigious Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University (Pusa), a major institution central to agricultural research, education, and extension in the Eastern region. I, therefore, urge the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare to seriously consider and immediately announce the establishment of an exclusive Agriculture Corridor encompassing the Samastipur Lok Sabha area, prioritising the inclusion of Pusa University's surrounding region in the larger Ganga Natural Farming Corridor plan. This dedicated corridor would unlock the full potential of Eastern India's agricultural sector and truly honour the spirit of farmer-centric development.

(ends)

Re: Need to regulate Micro-Finance Institutions, ensure employment opportunities for secured livelihood and strong social security network for women in Bihar

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : यह अत्यंत आवश्यक है कि बिहार की महिलाओं से जुड़े मुद्दों का सरकार गंभीरता से समाधान करे। आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं के खातों में 10000 जमा करने का एनडीए सरकार का निर्णय मतदाताओं को प्रभावित करने की एक हताश कोशिश था, न कि कोई वास्तविक कल्याणकारी। जीविका मोबिलाइज़र्स—जो सरकार से जुड़े सामुदायिक कार्यकर्ता हैं—को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया, जिससे मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव और राज्य समर्थित तंत्र के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएँ उठती हैं। सरकार इस हस्तांतरण को महिलाओं के सशक्तिकरण का उपाय बताती है, परन्तु यह बिहार की महिलाओं के सामने मौजूद गहरे संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान नहीं करता। गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सतत् सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का व्यापक वादा अब भी अधूरा है। स्थिति को माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की बढ़ती मनमानी और आक्रामक ऋण-प्रथाओं ने और गंभीर बना दिया है, अनेक परिवार निरंतर आर्थिक संकट में फँस रहे हैं। एकमुश्त और प्रतीकात्मक उपाय व्यापक सुधारों का विकल्प नहीं हो सकते। बिहार की महिलाओं के लिए MFIs के कड़े विनियमन, सुरक्षित आजीविका के अवसरों के विस्तार,मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। (इति)

Re: Mass displacement of Adivasi people from tiger reserves in the country

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अभी देश भर में टाइगर प्रोजेक्ट से 5,50,000 आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, जिसमें 2021 के बाद विस्थापन में 96.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है । विशेषकर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (1 लाख 60 हजार लोग), नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य (72,772 लोग), और रानीपुर टाइगर रिजर्व (45,000 लोग) के आंकड़े अधिक है। मुख्यतः इनमें कथित रूप से बिना सहमति के जबरन बेदखली, स्थानीय प्रशासन द्वारा धमकी व मनमानी गिरफ्तारियों की भारी रिपोर्ट है। साथ ही, 5670 आदिवासी परिवारों को वहां से जबरन हटाया गया हैं, जहां बाघ मौजूद ही नही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय को नियम 377 के तहत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें।

(इति)

———

… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : चेयरमैन सर, हमारी बात सुनी जाए।… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सर, एसआईआर पर चर्चा कराइए।… (व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, बीएलओ की मौतें हो रही हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप लोग बैठ जाइए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपा करके अपने-अपने आसन पर जाकर बैठिए।

…(व्यवधान)

1401 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री आनंद भदौरिया, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, श्री राजकुमार रोत, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन चर्चा के लिए है। आपके जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर सदन में चर्चा करायी जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का मौका मिलेगा। Please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया, आप सदन को चलने दीजिए। देश की जनता अपने मुद्दों पर यहां चर्चा कराना चाहती है। देश की जनता सदन को देख रही है। आप सब लोग एक जिम्मेदार विपक्ष हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपा करके आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका यह तरीका जनता पसंद नहीं करती है। यह सदन देश की जनता के लिए है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, ऐसा मत कीजिए। आप बार-बार सुनियोजित तरीके से सदन को बाधित कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are a responsible Opposition.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। आप यहां पर जनता के मुद्दों को उठाइए। आप जनता के मुद्दों को यहां पर उठाइए। आप सुनियोजित तरीके से सदन को बार-बार बाधित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सदन आपके इश्यूज पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मेरा आप सभी से फिर से निवेदन है कि कृपा करके आप सदन को चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एसआईआर के बारे में बार-बार क्यों बोल रहे हैं? सरकार ने कहा है कि एसआईआर के बारे में चर्चा होगी। बिहार में एसआईआर हुआ, उसका परिणाम आपने देखा है। जनता को बिहार में एसआईआर अच्छा लगा और जनता ने उसका भरपूर स्वागत किया। बिहार की जनता ने एसआईआर का समर्थन किया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपा करके आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं होता है। सदन में विपक्ष की जो भूमिका है, पिछले सत्र में भी आपने सदन का समय बर्बाद किया है। आप इस बार ऐसा मत कीजिए। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश की जनता आपको देख रही है। देश की जनता सदन को चलाना चाहती है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपा करके आप जनता की बात सुनिए। आप देश की जनता की बात सुनिए। आप अपने विषय को चर्चा में बताइएगा। कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि कृपा करके आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश की जनता आपको देख रही है। अगर आप सदन नहीं चलना चाहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बार-बार, हर रोज इस तरह से वेल में आना ठीक नहीं है। आपका यह तरीका बहुत गलत है।

…(व्यवधान)

(1405/MNS/HDK)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्यगण, यह तरीका बहुत गलत है। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 दिसंबर, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1405 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 3 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।